



क्रमांक: मेडि.कॉले./संस्था./ (SR/JR)/2020/1695

दिनांक : 18/08/2020

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक: MC/Estt./(SR/JR)/2020/1638 दिनांक 10.08.2020 के अनुसरण में दिनांक 17.08.2020 तक प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं आयोजित किये गये चल साक्षात्कार (Walk-in-interview) उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं विभाग में तथा नीचे वर्णित शर्तों पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक एतद् द्वारा चयन किया जाता है:-

Selected Candidates list :-

S. No.	Name of Candidate	Post	Department
1	Dr. Bhoopendra Kumar Kaushik	Senior Resident	General Medicine
2	Dr. Praveen Sharma	Senior Resident	General Medicine
3	Dr. Prashasya Goyal	Senior Resident	General Surgery
4	Dr. Ashish Kumar Gupta	Senior Resident	ENT
5	Dr. Ajay Sharma*	Senior Resident	Anaesthesia

*डॉ. अजय शर्मा के द्वारा साक्षात्कार के दौरान एन.ओ.सी. प्रस्तुत नहीं की गई है।

Waiting Candidate list :-

S. No.	Name of Candidate	Post	Department
1	Dr. Ashish Parashar	Senior Resident	General Surgery

रेजिडेंट के कर्तव्य एवं शर्तें :-

1. अभ्यर्थी को दस कार्यदिवस में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त माना जावेगा।
2. रेजिडेंट (सीनियर/जूनियर) के पद पर कार्य पूर्ण कालीन रेजिडेंट के रूप में करना होगा। किसी भी तरह की निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी, ऐसा पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
3. अभ्यर्थी को योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित छायाप्रति), अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी दो चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उक्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
4. सीनियर रेजिडेंट को स्नातक विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भाग लेना होगा। जूनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार आकस्मिक विभाग सहित दूसरे विभागों में भी पदस्थ किया जा सकेगा।
5. एम.सी.आई. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने या एम.सी.आई. निरीक्षक द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
6. कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा पत्र (On Stamp Paper of Minumum Value Rs. 100) प्रस्तुत करना होगा कि-
 - क. उसे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
 - ख. कदाचार के कारण पूर्व में उसकी सेवाएँ समाप्त नहीं की गई है।
 - ग. उसके द्वारा पूर्व में की गई Residency (Senior Residency for post of SR and Junior Residency for post of JR) की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं है।
 - घ. उसने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान दिनांक 01.08.19 को या उसके बाद एम.सी.आई. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
 - ड. कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कोविड वार्ड में प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णरूप से करेंगे।
7. जो अभ्यर्थी चयन से पूर्व स्थायी/अस्थाई तौर पर अन्य विशिष्टता/समान विशिष्टता में कार्यरत हैं, उन्हें इस चयन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उस विशिष्टता से कार्यमुक्त होना होगा।
8. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2017 लागू होंगे।
9. कर्तव्य- अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा। दैनिक कार्यावधि भी अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार रहेगी। कर्तव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।



हडताल आदि सम्भलित होने या अनुशासनहीनता के दोषी पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।

10. कार्यग्रहण के लिए अभ्यर्धी को टीए/डीए देय नहीं होगा।
11. अभ्यर्धी को राजमैस के नियमों के अंतर्गत समेकित वेतन 77900/- प्रतिमाह देय होगा।
12. कार्यरत कर्मचारी न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकृत/सेवा समाप्त होने से पूर्व एक माह के वेतन की कटौती कर ली जावेगी।
13. अभ्यर्धी को 01 माह के भीतर पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
14. चयन सूची के वे अभ्यर्धी जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित/कार्यरत हैं, पर कर्तव्य एवं शर्तों का विन्दु संख्या-11 व 13 लागू नहीं होगा। इनका वेतन मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा।

डॉ. (कर्नल) रजत श्रीवास्तव
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर
दिनांक : 18/08/2020

क्रमांक: मेडि.कॉले. / संस्था. / (SR/JR) / 2020 / 1695

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान् निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है, कि क्रम संख्या-5 पर अंकित अभ्यर्धी को एन.ओ.सी. जारी करने की कृपा करें।
- 2- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को इस चिकित्सा महाविद्यालय के लिये कार्यमुक्त किये जाने की कृपा करें।
- 3- नोडल अधिकारी (वेबसाइट) को भेजकर लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- कार्यालय प्रति।

डॉ. (कर्नल) रजत श्रीवास्तव
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर